उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून

लेन नं० 3, भवन संख्या–23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।

E-mail:ukmssbdun@gmail.com,**Website**: www.ukmssb.org, **Phone**: 0135- 2665366

पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0/परी0/10/2025–26/792 दिनांकः 06 अक्टूबर, 2026

–:परीक्षा परिणामः–

चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के अंतर्गत राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी के अन्तर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) डिप्लोमाधारक/डिग्रीधारक के रिक्त 1455 पदों के सापेक्ष मा0 उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में परीक्षा परिणाम

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या उ0चि0से0च0बो0/परी0/18/ 2023–24/203 दिनांक 11 मार्च 2024 के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड के राजकीय मेडिकल कॉलेजों एवं स्टेट कैंसर इन्स्टीट्यूट, हल्द्वानी में समूह 'ग' के अंतर्गत नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) डिप्लोमाधारक/डिग्रीधारक के कुल रिक्त 1455 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। जारी विज्ञापन के क्रम में नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) तैयार की गई है। श्रेष्ठता सूची में उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षणों को लागू करते हुए अन्तिम परीक्षा परिणाम पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0/परी0/18/2023–24/876, दिनांकः 14 दिसम्बर 2024 यथासंशोधित पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0/परी0/18/2023–24/893, दिनांकः 20 दिसम्बर 2024, पत्र संख्याः उ0चि0से0च0बो0/परी0/10/ 2025–26/261, दिनांकः 25 मार्च, 2026 के माध्यम से जारी किया गया, जिसमें मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित अन्तरिम आदेशों के अनुपालन में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से श्रेष्ठता सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कुल 17 पदो पर अंतिम परीक्षा परिणाम सुरक्षित रखा गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः–

- नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारक पदकोडः 201– 09 पद (06 पद अनारक्षित, 01 पद आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग, 01 पद अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी तथा 01 अनुसूचित जाति श्रेणी)
- नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्रीधारक पदकोडः 202– 02 पद (01अनारक्षित श्रेणी तथा 01 आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग श्रेणी)
- नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमाधारक पदकोडः 203– 07 अनारक्षित श्रेणी के पद।

02– उक्त के क्रम में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या 2331/2024 (एस0एस0) निशा रमोला बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 2249/2024(एस0एस0) आईरिन रॉबर्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य एवं रिट याचिका संख्या 2283/2024 (एस0एस0) नेहा मनोला मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 06.11.2025 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये– Since issue involved in these writ petitions is no longer res integra, therefore, this Court has no hesitation in holding that rejection of candidature of petitioners, only on the ground that they were not registered with Uttarakhand Nurses and Midwives Council on the last date of submission of application, is unsustainable. Writ petitions are, therefore, allowed. Order dated 18.11.2024, passed by the selecting body rejecting petitioners candidature, is set aside qua the petitioners. Respondents are directed to consider the claim of petitioners for appointment as per applicable selection criteria and also declare the result. याचिकाकर्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका संख्या 2251/2024 (एस0एस0) ढिल्पे शितल महेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 24.03.2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये थे– In view of consensus between the parties, the writ petition is decided in terms of the judgment dated 06.11.2025 rendered in WPSS No. 2331 of 2024 & other connected matters.

03– मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड द्वारा उक्त रिट याचिकाओं में पारित निर्देशों के क्रम में चयन बोर्ड कार्यालय द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दायर स्पेशल अपील संख्या 122/2026 निशा रमोला एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, 123/2026 नेहा मनोला एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, 125/2026 आईरिन रॉबर्ट एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य तथा 204/2026 ढिल्पे शितल महेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 07 जुलाई 2026 को निम्नलिखित आदेश पारित किये गये हैं– The learned Single Judge had considered the entire facts in detail and we are in agreement with the view taken by the learned Single Judge that the case of the writ petitioners was squarely covered by the decision of the Hon'ble Apex Court in the case of Laxmi Saroj (supra). Thus, we find no infirmity in the order passed by the learned Single Judge. The special appeals fail and the same are, accordingly, dismissed. Pending applications, if any, also stand disposed of.

04– मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्तानुसार वर्णित रिट याचिकाओं में पारित आदेशों के अनुपालन में नर्सिंग अधिकारी (महिला/पुरुष) पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन एवं सेवा नियमावली के मानकों के आधार पर वर्षवार योग्यताक्रम में, जैसा कि अभ्यर्थी द्वारा डिग्री/डिप्लोमा में प्राप्त अंकों से प्रकट हो, के आधार पर आरक्षण का लाभ देते हुए श्रेष्ठता सूची (मैरिट लिस्ट) में स्थान प्राप्त करने वाले याचिकाकर्ताओं का विवरण निम्नानुसार है–

नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिप्लोमाधारक (पदकोड– 201)

S. No.	Roll Number	Registration Number	Candidate Name	Father's/Husband Name	Date of Birth	Category	Sub Category	NCC /TA	Diploma Percentage	Diploma Passing Year	Select As
1	7020240243	1002015412	Mrs. NISHA RAMOLA	MANISH CHAND RAMOLA	2-Mar-1988	UR	--	--	79.74	2013	UR

05– शेष अन्य रिट याचिकाओं, याचिका संख्या 2249/2024(एस0एस0) आईरिन रॉबर्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य, रिट याचिका संख्या 2283/2024 (एस0एस0) नेहा मनोला एवं रिट याचिका संख्या 2251/2024 (एस0एस0) ढिल्पे शितल महेश बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में याचिकाकर्ता सम्बन्धित पद की प्रवीणता (मैरिट लिस्ट) सूची में स्थान प्राप्त नहीं करने के कारण उक्त याचिकाकर्ता का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया जा रहा हैं। उक्त रिट याचिकाओं के सापेक्ष रिक्त रखें गये पदो का परीक्षा परिणाम पृथक से जारी किया जायेगा।

ह0/–
(सुनील सिंह),
सचिव,
उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड,
देहरादून।